



न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व गण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क.— /2011-12 निगरानी

रामदयाल पुत्र मंशाराम जाति मीना निवासी
ग्राम धीरोली हाल निवासी ग्राम जैदा तहसील
व जिला श्योपुरकलां म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

1. महिला छीता बाई बेवा मंशाराम मीना
 2. विजय शंकर
 3. रामराज
 4. रामलखन
- सभी पुत्रगण स्व. मंशाराम मीना निवासी
ग्राम मावदा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.
5. महिला छोटी बाई पुत्री मंशाराम पत्नी बाबूलाल
जाति मीना निवासी ग्राम छोटा खेड़ा तहसील
व जिला श्योपुर म.प्र.
 6. महिला रामलेखा बाई पुत्री मंशाराम पत्नी
रामरतन जाति मीना निवासी ग्राम विठ्ठलपुर
तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

.....अनावेदकगण

7. पटवारी मौजा प्रेमसर तहसील व जिला श्योपुर

.....तरतीव अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24/12/2011 जानकारी दिनांक

15/5/2012 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संगम गुरेना

के प्र.क्र. 87/2010-11 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि मंशाराम पुत्र जीवाराम जाति मीना निवासी ग्राम मावदा की मृत्यु होने पर आवेदक एवं अनावेदकगण की ओर से मृतक के प्रथम श्रेणी वैधानिक उत्तराधिकारी होना बतलाकर मंशाराम के स्थान पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। दोनों ही पक्ष की ओर से प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर प्रथक-प्रथक आपत्ती पत्र भी प्रस्तुत किये गये। जिसमें आवेदक के नामांतरण आवेदन पर आपत्ती में अनावेदकगण द्वारा उल्लेख किया कि मृतक मंशाराम का पुत्र नहीं है। मंशाराम के सौजन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक की माँ फूलाबाई ने मंशाराम को छोड़कर रामनाथ निवासी ग्राम धीरोली व साथ दधीचा कर लिया था। इसलिये आवेदक वारिस नहीं है व मंशाराम की संपत्ति रामदयाल का कोई हक नहीं है।

2. यह कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई नामांतरण में आपत्ती पर यह स्पष्ट कि आवेदक की माँ फूलाबाई एकमात्र मंशाराम की वैध विवाहिता पत्नी है। मंशाराम फूलाबाई की अत्याधिक मारपीट करता था व मंशाराम फूलाबाई को उसके मायके ग्राम जैदा फूलाबाई से मंशाराम से गर्भवती थी। आवेदक रामदयाल का जन्म

R 1783- J 112

श्रीमान म.प्र. राजस्व गण्डल ग्वालियर म.प्र.
भाग आज दि 19-6-12 को
परतुत
वर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व गण्डल म.प्र. ग्वालियर
5.20 P.M.


(रामदयाल मंशाराम) एड.

श्रीमान जी के कोर्ट में प्रस्तुत
किये गये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1783/E. 112 जिला शमो 95

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.9.17	<p>प्रकरण आंगण (मिथामम)</p> <p>उभय पक्ष अफिमपर्व की</p> <p>अपनों की मूल्य रिकॉर्ड की</p> <p>मांग है</p> <p>(C.F. 7.6.17)</p>	
7.6.17	<p>उभय पक्ष अफिमपर्व की</p> <p>उक्त प्रकरण वर्ष 2012 से तैयार</p> <p>है। वर्ष 2013 से कोर्ट की अफिमपर्व</p> <p>उप नहीं हो रहा है। पूर्व में सुनना भी</p> <p>ही मांग नहीं है। परन्तु कोर्ट इप. गरी है</p> <p>रहा है। आग में तीन-चार आवारा लगावकी</p> <p>गई। उक्त प्रकरण उपपरिष्कार का स्थिति</p> <p>में अक्षम पंरवी में रकारित किया</p> <p>गया है। रिकॉर्ड नार्मल है</p>	